राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नीमकाथाना सीकर

न्यायालय बइजलास अनिल कुमार (आर.ए.एस) अति0 जिला कलक्टर, नीमकाथाना सीकर
पीठासीन अधिकारी का नामः– अनिल कुमार (आर.ए.एस)
अपील संख्याः– 63/2022

उनवान

नरेन्द्र कुमार रांगरा पुत्र हरनाथ राम उम्र 30 साल, जाति बलाई निवासी हीरानगर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.

––––––––अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर (राज0)

––––––––रेस्पोडेन्ट्स

2. सुनिल रांगेरा पुत्र सांवलराम जाति बलाई निवासी हीरानगर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.

––––––––तरतिबी रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार नीमकाथाना दिनांक 21.04.2022 नामान्तरकरण नं. 474 ग्राम चला की ढाणी तहसील नीमकाथाना

उपस्थितः– श्री जगदीश प्रसाद चौधरी एडवोकेट ––––––––––अपीलान्ट/प्रार्थी

निर्णय **दिनांकः–** 7-10-2022

संक्षेप में अपील अपीलान्ट इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम चला की ढाणी पटवार हल्का मण्ढोली तहसील नीमकाथाना में स्थित भूमि खाता संख्या 20 के खसरा नं. 962 रकबा 1.77 है0 बारानी 3 में हिस्सा 1/2 की खातेदारी खेताराम पुत्र छोटूराम एवं हिस्सा 1/2 की खातेदारी बाबूलाल पुत्र झूंथाराम के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उक्त भूमि में हिस्सा 1/2 को (0.885 है0) अपीलान्ट व तरतिबी रेस्पोडेन्ट नं. 2 ने भूमि के खातेदार खेताराम पुत्र छोटूराम जाति बलाई निवासी वार्ड नं. 16 छावनी नीमकाथाना से जरिये पंजीकृत विक्रय लेख दिनांक 26.11.2018 को 7,10,000रु में खरीद कर कब्जा प्राप्त किया। विक्रय लेख के आधार पर उक्त भूमि में हिस्सा 1/2 कि खातेदारी अपीलान्ट व तरतिबी रेस्पो. 02 के नाम से बराबर–बराबर हिस्से अनुसार जरिये नामांतरकरण संख्या 474 दिनांक 12.01.2022 को [illegible] जिसमें हल्का पटवारी एवं गिरदावर हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर उक्त नामांतरकरण रेस्पोडेन्ट नं. 01 द्वारा दिनांक 21.04.2022 को खारिज किये जाने का आदेश पारित किया [illegible] है।

विक्रय लेख तस्दीक किये जाने के समय पंजीयक अधिकारी द्वारा पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही विक्रय लेख अपीलान्ट व सुनिल रांगेरा के हक में तस्दीक किया गया था। उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 10:53:30 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना (सीकर)

आधार पर क्रेता के हक में खोतदारी दर्ज किया जाना कानूनन आवश्यक है। यदि जमाबंदी में पूर्व खातेदार विक्रेता का नाम ही रहेगा उस सूरत में वह उसका लाभ उठा कर उसे रहन विक्रय करने कि कुचेष्ठा करेगा। अपीलान्ट व रेस्पो. 02 सुनिल रांगेरा द्वारा खरीदशुदा 1/2 हिस्से कि भूमि में कोई प्लॉटिंग नहीं है। बल्कि कृषि भूमि है। रेस्पो. सं. 01 ने आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई सूचना व सूनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 13.07.2022 को नकल नामांतरकरण प्राप्त करने पर पूर्ण जानकारी होने से अपील अन्दर मियाद पेश कि गई है। अतः अपील प्रस्तुत निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर आदेश दिनांक 21.04. 2022 बाबत नामांतरकरण प्रविष्ट संख्या 474 दिनांक 12.01.2022 ग्राम चला की ढाणी तहसील नीमकाथाना निरस्त किया जाकर अपीलान्ट व तरतिबी रेस्पो. 02 सुनिल रांगेरा के नाम हिस्सा 1/2 कि खातेदारी का नामांतरकरण स्वीकार किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

अपील अपीलान्ट पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कि गई एवं जरिये नोटिस रेस्पो. को तलब किया गया। रेस्पो. कि ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई एवं बहस वकील अपीलान्ट एक पक्षीय सुनी गई।

वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि पंजिकृत दस्तावेज को सुनवाई का अधिकार सिविल न्यायालय को है। परन्तु जब तक टाईटल में नाम होता है। तब तक राजस्व न्यायालय को सुनवाई का अधिकार होता है। इसी आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। नामान्तरकरण संख्या 474 दिनांक 12.01.2022 ग्राम चला की ढाणी तहसील नीमकाथाना को अपास्त किया जाता है तहसीलदार नीमकाथाना को इस आदेश के साथ रिमांड कर निर्देशित किया जाता है कि पक्षकारान कि समस्त नियमों के अद्यधिन रहते हुये विधि पूर्वक सुनवाई की जाकर पुनः नामान्तरकरण भरकर फैसल करे पालना हेतु तहसीलदार नीमकाथाना को तहरीर के साथ निर्णय कि प्रति भिजवायी जायें।

उक्त आदेश आज दिनांक 07.10.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 10:53:30 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
अति. जिला कलेक्टर,
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना, सीकर